



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0/सा0प्र0/10217/2026

दिनांक: 21 जुलाई, 2026

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

सेवा में,

01. निदेशक शैक्षणिक,
विश्वविद्यालय परिसर।

02. प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषय:-मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017
State of U.P. vs Ajmal Beg Etc. के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक(उ0शि0), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्र संख्या: डिग्री विकास/1019/2026-27, दिनांक: 20 जुलाई, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्र संख्या: 1270/सत्तर-1-2026 दिनांक: 18 जुलाई, 2026 एवं महिला कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या: ई-3971163/60-3-2026-सी-2020617, दिनांक: 01 अप्रैल, 2026 (छायाप्रतियाँ संलग्न) में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. vs Ajmal Beg Etc. में पारित आदेश दिनांक: 15 दिसम्बर, 2025 का अनुपालन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्रों में वर्णित तथ्यों के आलोक में अपने महाविद्यालय में कार्यक्रमों/गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(एस0एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने एवं कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
3. सम्बन्धित पत्रावली।


कुलसचिव

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

ई - मेल

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/

1019

/2026 - 27

दिनांक - 20/ 07/2026

विषय - मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos. - 132 - 133/2017 State of U.P. vs Ajmal Beg Etc. के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या 1270/सत्र - 1 - 2026 दिनांक 18 जुलाई, 2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ संलग्न महिला कल्याण अनुभाग - 3 के पत्र संख्या ई - 3971163/60 - 3 - 2026 - सी - 2020617 दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos. 132 - 133/2017 State of U.P. vs Ajmal Beg Etc. में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त Criminal Appeal Nos. 132 - 133/2017 State of U.P. vs Ajmal Beg Etc. में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित दिये गये आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् है -

26. With an intent to further this change, we issue the following directions - I/1283343/2026 - 0 - 3099/23/2026 महिला कल्याण अनुभाग - 3 Women's Welfare Department (a) to ensure that the change brought in is able to make an impact on the efforts to eradicate this evil, it is to be ensured that the future generation, youngsters of today, are informed and made aware about this evil practice and the necessity to eschew it. As such, it is directed that States and even the Union Government consider changes as are necessary to the educational curricula across levels, reinforcing the constitutional position that parties to a marriage are equal to one another and one is not subservient to the other as is sought to be established by giving and taking of money and or articles at the time of marriage.

उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के परिसर में दहेज विरोधी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करते हुए अनिवार्य दहेज विरोधी कार्यशालायें, कानूनी अधिकार सेमिनार और छात्रों के नेतृत्व में जागरूकता अभियान आयोजित करने का कष्ट करें साथ ही इस पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी की ई - मेल आईडी0 dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे शासन को तत्काल उक्त सूचना प्रेषित की जा सके।

प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं मा० उच्चतम न्यायालय से आच्छादित है अतएव आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by
GYAN PRAKASH VERMA
Date: 20-07-2026
19:19:52

डॉ० (ज्ञान प्रकाश वर्मा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या - डिग्री विकास/

/उसी तिथि को।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित -

डॉ० (ज्ञान प्रकाश वर्मा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (30श10),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. सम्मन्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कुलसचिव, सम्मन्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/

/2026 - 27

दिनांक - 20/ 07/2026

विषय - मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos. - 132 - 133/2017 State of U.P. vs Ajmal Beg Etc. के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या 1270/सन्तर - 1 - 2026 दिनांक 18 जुलाई, 2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ संलग्न महिला कल्याण अनुभाग - 3 के पत्र संख्या ई - 3971163/60 - 3 - 2026 - सी - 2020617 दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos. 132 - 133/2017 State of U.P. vs Ajmal Beg Etc. में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त Criminal Appeal Nos. 132 - 133/2017 State of U.P. vs Ajmal Beg Etc. में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित दिये गये आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् है -

26. With an intent to further this change, we issue the following directions - I/1283343/2026 - 0 - 3099/23/2026 महिला कल्याण अनुभाग - 3 Women's Welfare Department (a) to ensure that the change brought in is able to make an impact on the efforts to eradicate this evil, it is to be ensured that the future generation, youngsters of today, are informed and made aware about this evil practice and the necessity to eschew it. As such, it is directed that States and even the Union Government consider changes as are necessary to the educational curricula across levels, reinforcing the constitutional position that parties to a marriage are equal to one another and one is not subservient to the other as is sought to be established by giving and taking of money and or articles at the time of marriage.

उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के परिसर में दहेज विरोधी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करते हुए अनिवार्य दहेज विरोधी कार्यशालायें, कानूनी अधिकार सेमिनार और छात्रों के नेतृत्व में जागरूकता अभियान आयोजित करने का कष्ट करें साथ ही इस पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी की ई - मेल आईडी0 dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे शासन को तत्काल उक्त सूचना प्रेषित की जा सके।

प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं मा0 उच्चतम न्यायालय से आच्छादित है अतएव आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

डॉ0 (ज्ञान प्रकाश वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (30श10),
कृते शिक्षा निदेशक (30श10),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या - डिग्री विकास/

1019-20

/उसी तिथि को।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित -

Digitally signed by
GYAN PRAKASH VERMA
Date: 20-07-2026
19:21:10

डॉ0 (ज्ञान प्रकाश वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (30श10),
कृते शिक्षा निदेशक (30श10),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्या-1270 /सत्तर-1-2026-

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा

उ०प्र०, प्रयागराज।

2. कुलसचिव,

समस्त निजी/राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक: 18 जुलाई, 2026

विषय:- मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महिला कल्याण अनुभाग-3 के पत्र संख्या ई-3971163/60-3-2026-सी-2020617 दिनांक 01 अप्रैल, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभाग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उपरोक्त Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित दिये गये आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् है:-

26. With an intent to further this change, we issue the following directions: - 1/1283343/2026 -0-3099/23/2026-महिला कल्याण अनुभाग-3-Women's Welfare Department (a) to ensure that the change brought in is able to make an impact on the efforts to eradicate this evil, it is to be ensured that the future generation, youngsters of today, are informed and made aware about this evil practice and the necessity to eschew it. As such, it is directed that States and even the Union Government consider changes as are necessary to the educational curricula across levels, reinforcing the constitutional position that parties to a marriage are equal to one another and one is not subservient to the other as is sought to be established by giving and taking of money and or articles at the time of marriage;

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के परिसर में दहेज विरोधी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करते हुए अनिवार्य दहेज-विरोधी कार्यशालाएं, कानूनी-अधिकार सेमिनार और छात्रों के नेतृत्व में जागरूकता अभियान आयोजित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

Digitally signed by
Shakil Ahmad Siddiqui

(शकील अहमद सिद्दीकी)

17:13 संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासना
- 2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- उप सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-15 को उनके पत्र सं-253/छ: पु0-15/2026 दिनांक 18.07.2026 के संदर्भ में।
- 4- महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 को उनके पत्र उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01.04.2026 के क्रम में

आज्ञा से

(शकील अहमद सिद्दीकी)

संयुक्त सचिव

अति महत्वपूर्ण/कोर्ट केस
संख्या-ई-3971163/60-3-2026-सी-2020617

प्रेषक,

लीना जौहरी,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग।
उ०प्र० शासन।

महिला कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: ०1 अक्टूबर, 2026

विषय-मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. के संबंध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-473/पी.एस.एम.एस./पी.एस.ओ/2025, दिनांक 22.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये 4 सप्ताह के अन्तर्गत शपथ-पत्र दाखिल किये जाने हेतु समयान्तर्गत नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2- उपरोक्त Criminal Appeal Nos.-132-133/2017 State of U.P. Vs. Ajmal Beg Etc. में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 में शिक्षा विभाग से संबंधित दिये गये आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् है:-

26. With an intent to further this change, we issue the following directions: -

(a) to ensure that the change brought in is able to make an impact on the efforts to eradicate this evil, it is to be ensured that the future generation, youngsters of today, are informed and made aware about this evil practice and the necessity to eschew it. As such, it is directed that States and even the Union Government consider changes as are necessary to the educational curricula across levels, reinforcing the constitutional position that parties to a marriage are equal to one another and one is not subservient to the other as is sought to be established by giving and taking of money and or articles at the time of marriage;

3- विदित है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्यरत है। यद्यपि उपरोक्त आदेश बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित होने के दृष्टिगत समीचीन होगा कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आपके विभाग के स्तर पर सम्यक् विचारोपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाए।

4- अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु विचार करने का कष्ट करें तथा उक्त क्रम में लिये गये निर्णय से महिला कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे शपथ-पत्र में उपरोक्त अनुपालन को भी शामिल किया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,



(लीना जौहरी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

Digitally signed by
AVNEESH KUMAR SINGH
Date: 30-03-2026
14:37:23

(अवनीश कुमार सिंह)

अनु सचिव।